न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी– श्री राजेश जोशी
आर.ए.एस.

मिसल संख्या:	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
245/अपील/2017	08.11.2017	19.07.2019

शोकिन चंद आ. रामचन्द्र जाति तेली निवासी ग्राम पेच की बावडी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी (राजस्थान) – अपीलांट

– बनाम –

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)
– रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 23.08.2017
तहसीलदार, हिण्डोली
अन्तर्गत धारा 90 (ए) राज0 भू–राजस्व अधिनियम
अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम।

उपस्थित :–
अपीलांट की ओर से – श्री नारायण सिंह, अभि0।
रेस्पोडेन्ट की ओर से – पेरोकार सरकार

–: निर्णय :–

यह अपील तहसीलदार, हिण्डोली द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.08.2017 से अप्रसन्न होकर अपीलान्ट ने अंतर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम के तहत इस न्यायालय में पेश की गई है। अपीलाधीन आदेश के तहत अपीलान्ट ने अपनी खातेदारी भूमि आराजी खसरा नम्बर 379 रकबा 4000 वर्गफीट पर बिना संपरिवर्तन कराये अवैध रूप से होटल का निर्माण का अतिचारी मानते हुये मौके पर मौजूद होटल निर्माण सामग्री को जप्त सरकार किये जाने एवं 20,000/– के दण्ड से दण्डित किया गया।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी।

बहस अभिभाषक अपीलान्ट व पेरोकार सरकार सुनी गयी।

अभिभाषक अपीलान्ट ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश वस्तु स्थिति एवं न्याय के नैसर्गिक सिद्वान्तो के विपरित होने से खारिज योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्माण को अवैध मानकर निर्णय पारित

अति0 जिला कलक्टर
बून्दी (राज0)

A.2/2

किया है जो गलत तथ्यो के आधार पर पारित किया गया है। उक्त आराजी अपीलान्ट की खातेदारी भूमि है उक्त भूमि पर निर्माण होटल न होकर कृषि उपकरण हेतु गोदाम है जिसमें निवास हेतु कमरे बने हुये है मौके पर कोई होटल नहीं है।

राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के प्रावधानों के अनुसार अपीलान्ट अपनी खातेदारी कृषि भूमि में 1/50 भाग पर, हिस्से पर बिना किसी प्रकार रूपान्तरण करवाये कृषि उपकरण फसल के उपयोग जिसमें फसल खाद, बीज कृषि उपकरण आदि हेतु बिना भूमि किस्म परिवर्तन करवाये बिना रूपान्तरण करवाये ही अपनी कृषि भूमि पर निर्माण कर सकता है। अपीलान्ट ने अपनी भूमि खातेदारी पर कोई होटल का निर्माण नहीं किया है। अपनी कृषि उपज व कृषि उपकरण खाद बीज रखने हेतु गोदाम का निर्माण किया हुआ है उसको होटल बताकर अपीलान्ट को अतिक्रमी मानकर पैनाल्टी व होटल निर्माण सामग्री को जप्त करने का आदेश पारित किया गया है जो न्यायसंगत नहीं है। अपीलान्ट को कोई नोटिस नहीं दिया गया है। एकपक्षीय आदेश पारित किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 23.08.2017 निरस्त फरमाया जावे।

पेरोकार–सरकार ने बहस के दौरान अपने मौखिक तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलान्ट ने अपनी खातेदारी भूमि पर बिना रूपान्तरकरण करवाये होटल का निर्माण 4000 वर्गफुट पर किया हुआ है। जैसा कि पटवारी रिपोर्ट से स्पष्ट है। अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस दिया गया है। अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस दिया गया है। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित भी हुआ है और जवाब भी पेश किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश जो पारित किया गया है वह न्यायसंगत एवं उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत रखा जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध पटवारी रिपोर्ट के अनुसार अपीलान्ट ने अपने खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 379 रकबा 03.08 बीघा ग्राम कालामाल में से 4000 वर्गफुट पर होटल का निर्माण किया हुआ होने से पटवारी रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर कर अपीलान्ट को विधिवत नोटिस दिया गया है। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ है तथा जवाब पेश किया गया है कि अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय व उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली के कार्यालय में संपरिवर्तन के लिये उपस्थित हुआ था लेकिन कहा कि गै.मू. बर्डा को संपरिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। इसलिये अपीलान्ट ने संपरिवर्तन नहीं करवाया। पटवारी हल्का ने जो रिपोर्ट 90 (ए) की अधीनस्थ न्यायालय में पेश की गई है उसमें मात्र होटल 4000 वर्गफुट लिखा गया है जबकि पटवारी रिपोर्ट के साथ पटवारी द्वारा मौके पर नाप वहां पर होटल के सामान व निर्माण सामग्री आदि का विवरण भी रिपोर्ट पटवारी में अंकित नहीं किया गया है मात्र होटल लिखा गया है। जिससे यह साबित नहीं होता है कि मौके पर खाद, बीज व कृषि यंत्र रखने का

अति० जिला कलक्टर
बून्दी (राज०)

A 6/3

गोदाम है या होटल। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है। वह साईक्लोस्टाईल प्रपत्र भरकर लिखा गया है। जो निर्णय की परिभाषा के अन्तर्गत नहीं आता है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 23.08.2017 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, हिण्डोली को इस निर्देश के साथ प्रेषित (रिमाण्ड) किया जाता है कि मौके की स्थिति की जॉच करे कि अपीलान्ट की खातेदारी भूमि पर होटल है या खाद, बीज व कृषि यंत्र रखने के लिये गोदाम है। अपीलान्ट की खातेदारी भूमि पर अपीलान्ट द्वारा कराये गये निर्माण की सम्पूर्ण जॉच करते हुये नये सिरे से अपना निर्णय पारित करे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 19.07.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश जोशी, R.A.S.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
बून्दी (राज0)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
बून्दी (राज0)